

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना देवगांव

अवैध असलहा व कारतूस के साथ 01 व्यक्ति गिरफ्तार

दिनांक 09.04.2024 को उ0नि0 राकेश सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के कलीचाबाद के पास एक अभियुक्त कर्मवीर सरोज उर्फ पुई पुत्र रामविजय सरोज निवासी देवनाथपुर कलीचाबाद थाना देवगांव आजमगढ़ एक अदद तमन्चा 303 बोर व एक अदद कारतूस 303 बोर के साथ समय 03.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 131/2024 धारा 7/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

बरामदगी का विवरण- 01 अदद तमन्चा 303 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 303 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 131/2024 धारा 7/25 शस्त्र अधिनियम थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1-कर्मवीर सरोज उर्फ पुई पुत्र रामविजय निवासी देवनाथपुर कलीचाबाद थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 131/2024 धारा 7/25 शस्त्र अधिनियम थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 113/2022 धारा 411,413,414,420,467,468,471 भादवि थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 404/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 113/2021 धारा 354(क),452,506 भादवि थाना देवगांव जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 राकेश कुमार सिंह मय हमराह थाना देवगांव आजमगढ़

थाना कन्धरापुर

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.02.2024 को वादिनी मुकदमा थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 10.02.2024 को विपक्षी मंजेर राहुल पुत्र अज्ञात पता अज्ञात मो0 नं0- 8210xxxxxx द्वारा वादिनी मुकदमा की नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले गया है, के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 43/24 धारा 363/366 भादवि बनाम 1. राहुल पुत्र अज्ञात पता अज्ञात मो0 नं0- 8210xxxxxx के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से अभियुक्त मंजेर उर्फ राहुल पुत्र कलीम निवासी खोनोई टोला शेर लंगा वार्ड नम्बर 4 पोस्ट बगदहारा थाना जोकी हाट जिला अररिया बिहार उम्र 24 वर्ष का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी।

गिरफ्तारी का विवरण -

आज दिनांक 09.04.2024 को उ0नि0 हौसिला प्रसाद सिंगह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मंजेर उर्फ राहुल पुत्र कलीम निवासी खोनोई टोला शेर लंगा वार्ड नम्बर 4 पोस्ट बगदहारा थाना जोकी हाट जिला अररिया बिहार उम्र 24 वर्ष को हैसर बाजार (चाऊमीन बनाने वाली फैक्ट्री) के पास मे तिराहे के पास थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनपुर से समय करीब 7.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- मंजेर उर्फ राहुल पुत्र कलीम निवासी खोनोई टोला शेर लंगा वार्ड नम्बर 4 पोस्ट बगदहारा थाना जोकी हाट जिला अररिया बिहार उम्र 24 वर्ष

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 43/2024 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 हौसिला प्रसाद सिंह मय हमराह थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

थाना – अहरौला

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण

दिनांक 04.10.2023 को वादिनी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 3/4.10.2023 की रात्रि मे विपक्षी चन्दन गिरी पुत्र इन्दल गिरी निवासी ग्राम पीठापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी मुकदमा की लड़की को बहला फुसला करके भगा ले गया है। लड़की भगाने मे इन्दल गिरी पुत्र रामअवध, इन्दल की औरत राधिका, टिकोरी गिरी पुत्र रामअवध पता उपरोक्त की भी मिली भगत है। के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 324/2023 धारा 363 भादवि बनाम 1. चन्दन गिरी पुत्र इन्दल गिरी 04 नफर पंजीकृत किया गया।

दौराने विवेचना धारा 366/376 भादवि व 5L/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। शेष अभियुक्त 1. इन्दल गिरी पुत्र रामअवध 2. राधिका पत्नी इन्दल 3. टिकोरी गिरी पुत्र रामअवध निवासीगण ग्राम पीठापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ का मा0न्या0 उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी स्टे है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 09.04.2024 उ0नि0 विजयी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त चन्दन गिरी पुत्र इन्दल गिरी निवासी पीठापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को माहुल तिराहे के पास से समय 10.59 बजे पर दाखिल किया गया। बाद पुलिस कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्याया0 भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 324/23 धारा 363/366/376 भादवि व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- चन्दन गिरी पुत्र इन्दल गिरी निवासी पीठापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 विजयी मय हमराह कर्मचारी का0 आदर्श शाह व का0 प्रवीण कुमार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

थाना – अहरौला

किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण

दिनांक 18.12.2023 को वादी री थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दिये कि दिनांक- 16.12.2023 को अज्ञात मो0 नम्बर से वादी मुकदमा की लड़की से फोने से बात होती थी, वादी मुकदमा की लड़की समय करीब शाम 9 बजे के आस पास बिना किसी को कुछ बताये घर से कहीं चली गयी। के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 429/23 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात मो0 नम्बर पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त करन पुत्र सुरजीत निवासी गद्दोपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 366/376 भादवि व 5L/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 09.04.2024 उ0नि0 श्रीप्रकाश मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त करन पुत्र सुरजीत निवासी गद्दोपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अन्डर बाईपास सुखीपुर के पास से समय 11.34 बजे पर दाखिल किया गया। बाद पुलिस कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्याया0 भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 429/23 धारा 363/366/376 भादवि व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- करन पुत्र सुरजीत ग्राम गद्दोपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्रीप्रकाश मिश्रा मय हमराह कर्मचारी का0 संजीव कुमार यादव व का0 प्रमोद कुमार यादव थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

थाना- मेंहनगर

किशोरी को भगाने में सहयोग करने वाली अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

वादिनी मुकदमा की तहरीरी सूचना कि विपक्षी घनश्याम यादव पुत्र धन्जय यादव निवासी पन्दहा थाना मेहनगर ने दिनांक 4/4/2024 को समय करीब 4 बजे प्रातः वादिनी मुकदमा की पुत्री को बहला फुसला कर लेकर भाग गया है मेरी पुत्री को भगाने मे घनश्याम की माँ व घनश्याम की भाभी जो शिवा की पत्नी है इनका भी सहयोग है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं 124/24 धारा 363/366/504/506/120B भादवि बनाम 1.घनश्याम यादव पुत्र धनन्जय यादव, 2.घनश्याम की माँ नाम अज्ञात पत्नी धनन्जय, 3.घनश्याम की भाभी नाम अज्ञात पत्नी शिवा निवासी पन्दहा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत करके पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण

दिनांक 09.04.2024 को उ0नि0 विरेन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शीला पत्नी स्व0 राजनाथ निवासी पन्दहा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को समय 11.30 बजे पन्दहा गोसाई की बाजार पर अर्धनिर्मित अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु.अ.सं 124/24 धारा 363/366/504/506/120B IPC थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-शीला पत्नी स्व0 राजनाथ यादव निवासी पन्दहा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1- उ0नि0 विरेन्द्र यादव, हे0का0 दयाशंकर यादव, म0का0 आरती द्विवेदी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

थाना बिलरियागंज

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.04.2024 को वादी मुकदमा थाना महाराजगंज जनपद-आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी (1) बजरंगी यादव उर्फ वजरंग दास पुत्र रामानन्द उम्र-24 वर्ष (2) उदयराज पुत्र रामानन्द-उम्र करीब-40 वर्ष निवासी गण कुहड़ी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी मुकदमा की पोती के आधार कार्ड मे संसोधन कराकर उम्र परिवर्तित कराना तथा नोटरी बनाकर शादी की गयी व शाररिक सम्बन्ध बनाना व उसका विडियो बनाकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 104/24 धारा 420/376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 09.04.2024 को थानाध्यक्ष मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त बजरंगी यादव पुत्र रामानन्द यादव नि0 कुड़ही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को मोलनापुर नहर पुलिया के पास मौजूद को समय सुबह 07.00 बजे हिरासत पुलिस लिया गया । अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 104/24 धारा 420/376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ।

अभियुक्त का नाम व पता

1. बजरंगी यादव उर्फ वजरंग दास पुत्र रामानन्द निवासी ग्राम कुहड़ी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

थाना- बिलरियागंज

जमीनी विवाद में मारपीट से ईलाज के दौरान हुई मृत्यु के मामले में एक आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, पूर्व में 02 अभियुक्त हो चुके हैं गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण :-

दिनांक 26.03.24 को वादी मुकदमा सूर्यकान्त शुक्ला पुत्र श्रीकान्त शुक्ला ग्राम बरौली दिवाकर पट्टी थाना बिलरियागंज जिला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी द्वारा गाटा सं0 184 को कब्जा करने व मना करने पर वादी के पिता श्रीकान्त शुक्ला, भाई राजकुमार शुक्ला व भाभी महिमा शुक्ला को घर में घुसकर बुरी तरह से मारे पीटे जिससे वादी के पिता के सर में गम्भीर चोट लगने के कारण अचेत होकर गिर जाने व खुद को भी मारने पीटने गाली गुप्ता देने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में लिखित सूचना थाना कार्यालय को प्राप्त हुआ था जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 91/2024 धारा 34/302/323/452/504/506 भादवि बनाम 1.सत्यनारायन पाण्डेय पुत्र स्व0 शशिधर पाण्डेय 2.विजय नारायण पुत्र जयनारायन 3.सन्तोष पाण्डेय पुत्र त्रिभवन पाण्डेय 4.दीपक पाण्डेय पुत्र जयनारायन पाण्डेय 5.शिवनारायण पाण्डेय पुत्र स्व0 शशिधर पाण्डेय निवासीगण बरौली दिवाकर पट्टी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ पंजीकृत हुआ है।

➡ नोट- मु0अ0सं0 91/24 धारा 307, 34, 323, 452, 504, 506 भादवि से सम्बन्धित पीड़ित श्रीकान्त पुत्र राम विलास शुक्ला निवासी बरौली दिवाकरपट्टी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ का दौराने इलाज पीजीआई लखनऊ में मृत्यु हो जाने पर दिनांक 06.04.2024 को धारा 307 भा0द0वि0 को धारा 302 भा0द0वि0 में तरमीम किया गया।

➡ दिनांक 04.04.2024 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विजय नारायण पुत्र जयनारायण निवासी बरौली दिवाकरपट्टी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

➡ दिनांक 07.04.2024 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शिवनारायण पाण्डेय उर्फ लल्लू पुत्र स्व0 शशिधर पाण्डेय उर्फ सत्यधर पाण्डेय निवासी बरौली दिवाकरपट्टी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ को घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल फावडा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

जिसके क्रम में-

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 08.04.2024 थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त सत्य नारायण पाण्डेय पुत्र स्व0 सत्यधन पाण्डेय उर्फ शशिधर पाण्डेय निवासी बरौली दिवाकरपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को पटवध पालिटेक्निक स्कूल के पास से समय करीब 19.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

• मु0अ0सं0 91/2024 धारा 302,34,323,452,504,506 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त का नाम व पता

1. सत्य नारायण पाण्डेय पुत्र स्व0 सत्यधन पाण्डेय उर्फ शशिधर पाण्डेय निवासी बरौली दिवाकरपट्टी थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. प्रशिक्षु उ0नि0 अक्षय दीप सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3. हे0का0 रामनिवास यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
4. का0 महेन्द्र मौर्य थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
5. म0का0 प्रेमलता पाण्डेय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना- बरदह

अवैध तमन्चा के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 08.04.24 को उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त अरविन्द उर्फ गब्बू पुत्र जदुराई निवासी ग्राम बेलाखास थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को एक अदद देशी तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ भगवानपुर- जमुआवा मार्ग पर स्थित M.K. राय स्कूल के पास से दिनांक 08.04.24 को समय करीब 21.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 114/24 धारा 3/25 आर्म्स पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1-अरविन्द उर्फ गब्बू पुत्र जदुराई निवासी ग्राम बेलाखास थाना बरदह जनपद आजमगढ़
बरामदगी

1-एक अदद देशी तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 114/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़
आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 252/18 धारा 363/366 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 96/24 धारा 323/504/506 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 114/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी थाना बरदह, आजमगढ़
2. का0 कपिल शाहू थाना बरदह, आजमगढ़
3. का0 पंकज यादव थाना बरदह, आजमगढ़
4. का0 सत्येन्द्र गुप्ता थाना बरदह, आजमगढ़

थाना- मुबारकपुर

अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 09.04.2024 को व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान ओझौली मोड़ वहद ग्राम दरियाबाद से एक अभियुक्त रईश अहमद पुत्र स्व0 मो0 मुस्तफा ग्राम इब्राहिमपुर, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को एक अदद अवैध तमन्चा .303 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर के साथ समय करीब 07.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 135/2024 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

बरामदगी का विवरण:-

1- एक अदद तमन्चा व एक जिन्दा कारतूस .303 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- रईश अहमद पुत्र स्व0 मो0 मुस्तफा ग्राम इब्राहिमपुर, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग:-

1-मु0अ0सं0 135/2024 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0 195/2015 धारा 272,273 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
- मु0अ0सं0 200/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर, आजमगढ़
- मु0अ0सं0 135/2024 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1-व0उ0नि0 श्री सुरेश सिंह यादव मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़